दिल्ली विकास प्राधिकरण
लेखाधिकारी कार्यालय (चिकित्सा)-I

संख्या पीए/निदेशक(एम एवं पी) परामर्शदाता/2014/78 दिनांक 11/08/2014

विषय: <u>अंतरंग रोगी/ ओपीडी चिकित्सा दावे के लिए कर्मचारियों/पेंशवरों से निर्धारित सीमा से अधिक हेतु अनुरोधों के लिए दिशा-निर्देश।</u>

चिकित्सा एकक द्वारा संख्या पीए/निदेशक (एमएवंपी)/परामर्शदाता/2014/62 दिनांक 14.07.2014 के तहत परिचालित दिशा-निर्देशों के क्रम में यह निर्णय लिया गया है कि अनुमत्य धनराशि (अंतरंग रोगी/ओपीडी चिकित्सा दावे, दोनो के लिए) से अधिक डिफ्रेंशियल चिकित्सा दावों को अनुमति प्रदान करने हेतु सभी अभ्यावेदनों को मेरिट के आधार पर मामलों की और जांच करने के लिए विशेष वित्त समिति के समक्ष मामले को प्रस्तुत करने की निम्नलिखित पूर्वापेक्षा को पूरा करके अब से जोनल अधिकारियों द्वारा अग्रेषित किया जाएगा तथा सिफारिशें रिकार्ड की जाएंगी।

प्रमाण-पत्र:

1. एओ (सीएयू) प्रमाणपत्र में यह रिकार्ड करेंगें कि (क) वार्षिक अधिकतम सीमा के अंतर्गत व्यय पूरा हो चुका हो, (ख) प्रपत्र में कर्मचारी द्वारा दिए गए ब्यौरे का सत्यापन जानेल रिकार्ड से कर लिया हो, (ग) सीएयू कार्यालय में मामले की जांच चिकित्सीय एकक द्वारा पहले से परिचालित दिशा-निर्देशों से कर ली गई हो तथा मामला विशेष वित्त समिति द्वारा जांच करने हेतु उपयुक्त हो।

उपर्युक्त प्रमाण-पत्र अत्यधिक अपेक्षित हैं और किसी भी मामले को अग्रेषित करने से पहले अनिवार्यत: रिकार्ड करने चाहिएं। इसलिए सीएयू इन प्रमाण पत्रों पर बड़े शब्दों की रबड़ की मुहर लगाएं और इसे एओ (सीएयू) के उचित हस्ताक्षर करके इस प्रपत्र को रिकार्ड करना चाहिए तथा इस मामले को तत्पश्चात सदस्य सचिव (विशेष समिति) को जोनल उप सीएओ को भेजना चाहिए।

ह/-
लेखाधिकारी (चिकित्सा)-I

<u>सभी अंचल उप सीएओ</u>

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. **सीएओ को सूचनार्थ**
2. **एफएम के ओएसपी को सूचनार्थ**
3. **निदेशक (चिकित्सा एवं पेंशन) परामर्शदाता**
4. **उप सीएओ (चिकित्सा)/परामर्शदाता**
5. **वरिष्ठ एओ (चिकित्सा)-II**
6. **सलाहकार (वित्त एवं चिकित्सा)**